पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 126/2026

1.जगदीश | पि0 हंसराज जाति मेघवाल निवासीयान टिब्बी तहसील टिब्बी
2.भालाराम | जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. प्रमेश्वरी पत्नी हंसराज जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं0 15, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. पुष्पादेवी पुत्री हंसराज पत्नी सुरजीतसिंह जाति मेघवाल निवासी गिन्दड़ा तहसील व जिला सिरसा ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— चक नं० 2 आर.डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता के खाता सं0 15/15 में कुल 10.257 है0 अनकमाण्ड आराजी में प्रतिवादीया स0 1 के नाम से 1476/3419 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 2 आर.डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता के खाता सं0 15/15 में प्रतिवादीया स0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।